डिजीटल मानचित्र :- जनपद चमोली मैं प्रस्ताबित सरकोट से देवसारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक बृक्षारोपण स्थल आरक्षित बन क्षेत्र ब्लॉक मल्ला कालिफाट-II कक्ष संख्या-7 उखीमठ रेंज केदारनाथ बन्यजीव वन प्रभाग (क्षेत्रफल -11.928 हे0)

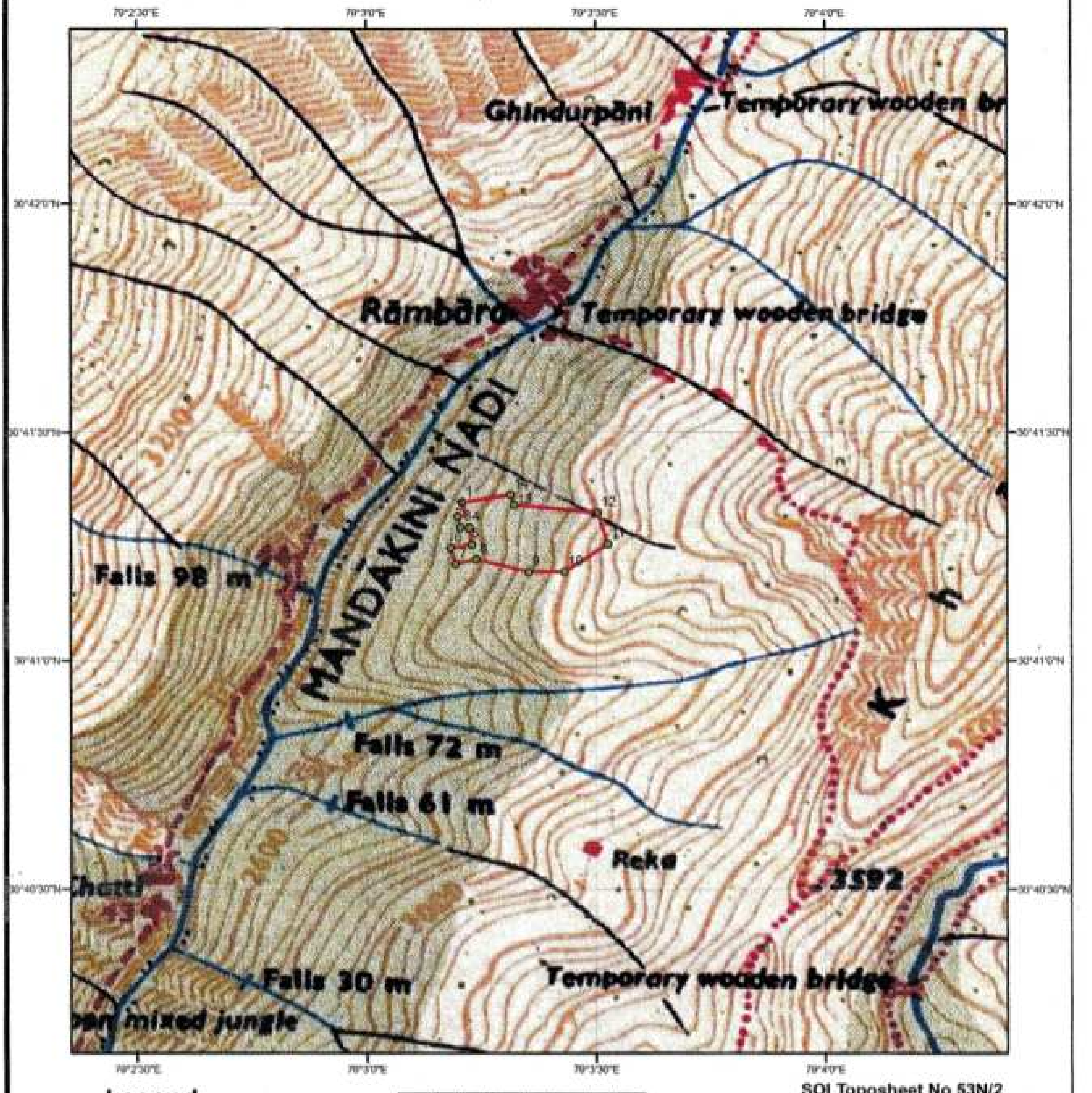

SOI Toposheet No 53N/2

0 0.25 0.5 1 Kilometers

Legend

- Forest Boundary
- Reserve Forest Area
- Proposed CA Land
- GPS Point of CA Land

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

J.E

वन क्षेत्राधिकारी
उखीमठ वन क्षेत्र

Assistant Engineer
RWD, PMGSY
Karanprayag-1

Executive Engineer
RWD, P.M.G.S.Y.
Division-Karanprayag-1

जियोरेफरेन्स मैप:- जनपद चमोली मैं प्रस्तावित सरकोट से देवसारी मोटर मार्ग निर्माण हेत् क्षतिप्रक बृक्षारोपण स्थल आरक्षित बन क्षेत्र ब्लॉक मल्ला कालिफाट-II कक्ष संख्या-7 उखीमठ रेंज केदारनाथ बन्यजीव वन प्रभाग (क्षेत्रफल -11.928 हे0)

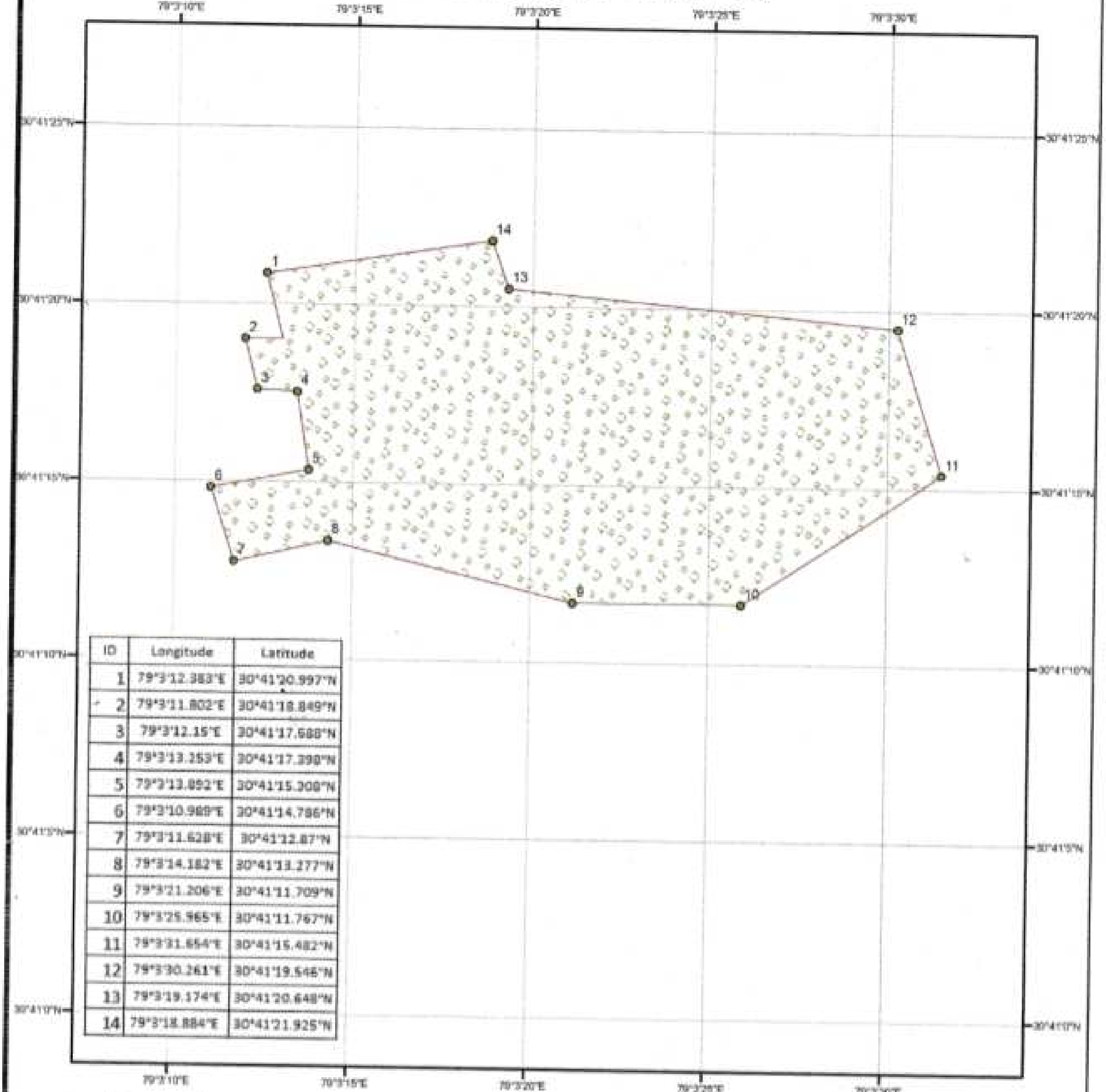

ID	Longitude	Latitude
1	79°3'12.383"E	30°41'20.997"N
2	79°3'11.802"E	30°41'18.849"N
3	79°3'12.15"E	30°41'17.588"N
4	79°3'13.253"E	30°41'17.398"N
5	79°3'13.892"E	30°41'15.308"N
6	79°3'10.989"E	30°41'14.786"N
7	79°3'11.628"E	30°41'12.87"N
8	79°3'14.182"E	30°41'13.277"N
9	79°3'21.206"E	30°41'11.709"N
10	79°3'25.965"E	30°41'11.767"N
11	79°3'31.654"E	30°41'15.482"N
12	79°3'30.261"E	30°41'19.546"N
13	79°3'19.174"E	30°41'20.648"N
14	79°3'18.884"E	30°41'21.925"N

Legend

Proposed CA Land

GPS Point of CA Land

0 0.05 0.1 0.2 Kilometers

SOI Toposheet No 53N/2

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

J.E

वन क्षेत्राधिकारी
उखीमठ वन क्षेत्र
(गुप्तकाशी)

Assistant Engineer
RWD, PMGSY
Karanprayag-1

Executive Engineer
RWD, P.M.G.S.Y.
Division-Karanprayag-1

Bhimbali
ide roads, borders and other items in the 3D viewer
Image © 2020 Maxar Technologies
© 2019 Google
Google Earth
2010
Imagery Date: 11/30/2018 30°41'16.66" N 79°03'21.26" E elev 0 m eye alt 1.28 km

–:क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र:–

परियोजना का नाम:– जनपद चमोली में प्रस्तावित सरकोट–देवसारी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है, कि केदारनाथ वन्यजीव वनप्रभाग, गोपेश्वर के ऊखीमठ वन क्षेत्र, गुप्तकाशी के अन्तर्गत मल्लाकालीफाट II क्र0स0 07 में 11.928 हैक्टेअर क्षेत्र वनीकरण हेतु उपयुक्त है।

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

Ph. No :- 01363-271224 e_mail :- eecdthrl.pwduk@gov.in

पत्रांक ३७६५/सं०नि० ३A-C दिनांक 16/12/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विशयः— **सरकोट देवसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.964 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।**

सन्दर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8 बी/यू0सी0पी0/06/41/20197/एफ0सी0/1782, दिनांक 26.11.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सारकोट से देवसारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त क्रम में आपके कार्यालय पत्रांक 3779/12–1, दिनांक 14.05.2019 द्वारा उक्त मार्ग पर इस खण्ड को एन0पी0वी0/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि रू0 8695881.00 मात्र जमा किये जाने हेतु लिखा गया है। वर्तमान में उक्त मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत नन्दकेशरी–ग्वालदम मोटर मार्ग के किमी0 8.00 से देवसारी मोटर मार्ग के नाम से स्वीकृत है। इसलिए भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तो के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार तीन प्रतियों में आपकी सेवा में विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

<u>बिन्दु संख्या 01</u>:— भारत सरकार की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल पर 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु मु0 3656301.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दि0 31.08.2019 द्वारा Carporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा की जा चुकी है **(छायाप्रति संलग्न)** । शर्त संख्या 01 के अनुपालन के संबंध में अवगत कराना है, कि जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 6558/छब्बीस–एम0बी0/(2018–19) दिनांक 30.7.2019 द्वारा उपजिलाधिकारी थराली को उक्तानुसार म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु 17 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध कराने तथा लो0नि0वि0 थराली एवं इस खण्ड को उपजिलाधिकारी/तहसीलदार थराली से समन्वय स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है **(छायाप्रति संलग्न)**। उक्त क्रम में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार थराली से समन्वय स्थापित करने पर ज्ञात हुआ है, कि सारकोट से देवसारी मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित 5.964 हे0 के एवज में 11.928 हे0 दोगुनी भूमि अन्यत्र विभाग को आवंटित की जा चुकी है।

उक्त क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 519, दि0 09.10.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर से Degraded Reserve forest land से भूमि उपलब्ध कराने तथा पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 531, दिनांक 16.10.2019 द्वारा जिलाधिकारी चमोली से म्यूटेशन हेतु दोगुनी भूमि उपलब्ध कराये जाने के लिए अनुरोध किया गया, किन्तु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अन्यत्र दोगुनी भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है।

उक्त क्रम में अवगत कराना है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 11.928 हे0 दोगुनी भूमि "ब्लॉक मल्ला कलिफाट–।।, कक्ष संख्या–7 उखीमठ रेंज केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग" के अन्तर्गत Degraded Reserve forest land में उपलब्ध हा चुकी है, जो कि पूर्व से ही वन विभाग के नाम दर्ज है। अतः उक्त पर हस्तान्तरण/नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की जानी है।

बिन्दु संख्या 02:– भारत सरकार की शर्त संख्या 02 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि मु0 5039580.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दि0 31.08.2019 द्वारा Carporation Bank, Lodhi Comlex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा की जा चुकी है। **(छायाप्रति संलग्न)**

बिन्दु संख्या 03:– सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि किये जाने संबंधी "वचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।

बिन्दु संख्या 04:– भारत सरकार की शर्त संख्या 04 के अनुपालन में डिमान्ड नोट को ऑनलाइन कर सत्यापन एवं शर्त संख्या 01 और 02 की धनराशि मु0 8695881.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दि0 31.08.2019 द्वारा Carporation Bank, Lodhi Comlex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा की जा चुकी है **(छायाप्रति संलग्न)** । ऑनलाइन जमा धनराशि की प्रति संलग्न है। **(छायाप्रति संलग्न)।**

बिन्दु संख्या 05:– सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 के अनुपालन में सड़क के निर्माण के पश्चात जहॉं–जहॉं संभव हो सड़क किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation किये जाने संबंधी "वचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।

अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत् स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली, चमोली।

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 2917 / 12 , दिनांक, गोपेश्वर, 4/2 /2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली में सरकोट देवसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.964 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/ यू0सी0पी0/06/41/2017/एफ0सी0/1782 दिनांक 26.11.2018

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के तहत प्रदान की गयी है, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली ने अपने पत्र सं0 कैम्प मैमो/3ए0सी0 दिनांक 16.12.2019 जो इस का र्यालय को दिनांक 04.02.2020 को प्राप्त हुई है, में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या निम्नानुसार इस कार्यालय को उपलब्ध करायी है। जिसे संलग्को सहित तीन–तीन प्रतियों में प्रेषित की जा रही हैः–

1. **शर्त सं0 01** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि, प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 11.928 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल ग्राम घेस सिविल एवं सोयम भूमि का म्यूटेशन के उपरान्त राजस्व विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि का किसी अन्य परियोजना के अन्तर्गत वन विभाग के नाम भूमि दर्ज की जा चुकी है। जिस कारण अन्य क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि चयनित करने हेतु लिखा गया हैं **(प्रति संलग्न।)**

कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, थराली द्वारा उक्त प्रभावित वनभूमि के बदले संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित अवनत वन भूमि केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी के मल्लाकालीफाट ।। क0न0 7 में 11.928 है0 क्षेत्र वनीकरण चयनित कर उक्त भूमि की उपयुक्तता प्रमाण पत्र, प्राक्कलन, डिजिटल मैप व टोपोशीट मैप एवं के0एम0एल0 फाईल संलग्न है तथा यह अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र घेस सिविल सोयम भूमि के स्थान पर मल्लाकालीफाट ।। क0न0 7 (क्षेत्र 11.928 है0) विधिवत स्वीकृमि में संशोधित करने हेतु लिखा गया है। उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि रू0 3656301.00 मात्र आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 31.08.2019 से जमा की जा चुकी है, **(प्रति संलग्न।) (संलग्न–1, 2,3)**

2. **शर्त सं0 2** के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रांलय, नई दिल्ली के पत्र 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 50,39,580.00(रू0 पचास लाख उन्नचालीस हजॉर पांच सौ अस्सी) मात्र RTGS के माध्यम से जमा की जा चुकी है।

3– **शर्त सं0 3** के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की दर में जो बढ़ोत्तरी होती है उसे जमा करने की बचनवद्वता प्रेषित की जायेगी। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–4)**

4– **शर्त सं0–4** के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त सं0 01 एवं शर्त सं0 03 में दी गई धनराशि का भुगतान Online Portal के माध्यम से जमा की जायेगी।

5– **शर्त सं0 5** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क के निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation किये जाने सम्बन्धी बचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्न–5)**

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा भविष्य में सरकोट–देवसारी मोटर मार्ग पर यदि एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि की जायेगी तो बड़ी हुयी दर के अनुसार अतिरक्त धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
चमोली

File Edit View History Bookmarks Tools Help

IFMS | Inbox (5) - pwdtharali@g | Email Compose | Welcome to Single Window | Untitled Page

forestsclearance.nic.in 110%

PARIVESH
परिवेश

Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾

Help ▾

5:16:45 PM

2	FP/UK/ROAD/20189/2016 Construction of Sarkot-Devsan Motor Road.	ROAD2018920169846	120189984	21 Aug 2018	CA: 3656301/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 5039580/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 8695881/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 19 Aug 2019 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Chalan) Challan Generated On: 21 Aug 2019 Transaction Date: 31 Aug 20	Demand Letter Generated Challan
3	FP/UK/ROAD/10549/2015	ROAD1054920155896	110549589	03 Nov 2017	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/-	Paid	Fund Demand Verified by	Demand Letter

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सरकोट–देवसारी मोटर मार्ग निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ संभव हो, सड़क किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation कर लिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चमोली

प्राप्त
25/1/2019

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील थराली,

विषय: जनपद चमोली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.964 है० वन भूमि के स्थान पर 11.928 है० सिविल भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण/अमलदरामद के सम्बन्ध में जाँच आख्या।

महोदय,

सादर निवेदन इस प्रकार से है कि सरकोट देवसारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु पूर्व में प्रस्तावित भूमि ग्राम घेस अन्तर्गत वर्तमान में कार्यालय जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 454/इक्कीस-03(2017-18) के अनुपालन में फॉरेस्टर दि० 18 अक्टूबर 2018 के वन विभाग के नाम दर्ज हो चुका है। जिस कारण ग्राम घेस अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो सकती है।

अतः निवेदन है कि ग्रामीण निर्माण विभाग (पी० एम० जी० एस० वाई०) प्रखण्ड कर्णप्रयाग और अन्यत्र जगह क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि प्राप्त की जाय।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
प्रमोद सिंह नेगी
रा०उ०नि०क्षेत्र देवसारी
तहसील थराली
जिला-चमोली

आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार आ०का० करें।

अधिशासी अभियन्ता (P.M.G.S.Y ग्रामीण नि० वि०), कर्णप्रयाग
कृ० भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण अन्यत्र भूमि चयन हेतु आ०का० करने का कष्ट कीजिएगा।

(हस्ताक्षर)
27/1/19
तहसीलदार
थराली